कार्यालय डिवीजनल कमिश्नर, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी–भंवर लाल मेहरा, आई.ए.एस.

सूचना का अधिकार–प्रथम अपील संख्या 04/2023

अपीलार्थी	बनाम	प्रत्यर्थी
अधिवक्ता प्राप्ति प्रजापति, निवासी 103, मितताल चैम्बर, आईनोक्श, नरिमन पोईन्ट के **सामने**, **मुंबई–400021**		लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, जोधपुर

अपील अन्तर्गत धारा 19 सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 विरूद्ध लोक सूचना अधिकारी (अति0 संभागीय आयुक्त जोधपुर) कार्यालय हाजा।

निर्णय

दिनांक 11.09.2023

1. अपीलार्थी अनुपस्थित।
2. प्रत्यर्थी की टिप्पणी एवं पत्रावली का विशद परिशिलन किया गया।
3. अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत लोक सूचना अधिकारी–अति0 संभागीय आयुक्त जोधपुर को प्रेषित आवेदन/प्रार्थना पत्र दिनांक 6.6.23 के बिन्दु सं0 4(ए)(सी) में न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जोधपुर में दर्ज राजस्व अपील संख्या 163/2018 में पारित निर्णय दिनांक 2.9.22 (वस्तुतः आवेदन के संलग्न प्रेषित रा0अ0सं0 163/2017 निर्णय दिनांक 12.9.23 की प्रति) के अंतिम पैरा में अंकित अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष तहसीलदार पाली द्वारा प्रस्तुत जवाब/रिपोर्ट एवं राजस्व रेकार्ड/नक्शे में दुरूस्ती हेतु प्रस्तावित नक्शे की 2–2 प्रतियां चाही थी। उक्त क्रम में लोक सूचना अधिकारी के प्रत्युत्तर से असंतुष्ट होकर अपीलार्थी द्वारा उक्त प्रथम अपील प्रस्तुत की गई।
4. प्रस्तुत अपील दर्ज रजिस्टर की गई। अपीलार्थी के प्रार्थना पत्र दिनांक 6.6.23 के संबंध में लोक सूचना अधिकारी के कार्यालय में संस्थित प्रकरण की पत्रावली तलब की गई एवं अपील पर टिप्पणी चाही गई।
5. अपीलार्थी को सुनवाई हेतु दिनांक 8.9.23, व 11.8.23 को अवसर दिये जाने के उपरांत अनुपस्थित रहे।

डिविजनल कमिश्नर
जोधपुर

6. सुनवाई के दौरान प्रत्यर्थी ने अपनी टिप्पणी व उसके सलग्न प्रार्थीया–प्राप्ति प्रजापति द्वारा सूचना के अधिकार के तहत प्रेषित प्रार्थना पत्र दिनांक 6.6.23 के संदर्भ में दर्ज प्रकरण संख्या 53/2023 की पत्रावली प्रस्तुत कर मुख्यतः यह अवगत कराया कि प्रार्थी द्वारा सूचना के अधिकार के तहत प्रस्तुत आवेदन में न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जोधपुर में दर्ज राजस्व अपील संख्या 163/2017 निर्णय दिनांक 12.9.23 के संबंध में तहसीलदार पाली द्वारा प्रस्तुत मेप व रिपोर्ट की प्रतिलिपी चाही गई। इस संदर्भ में आवेदक को निर्धारित समयावधि में जरिये पत्र क्रमांकः एडीसी/सू. अ./53/2023/109 दिनांक 3.7.23 द्वारा यह सूचित किया गया :–
   (1) उक्त प्रकरण में निर्णय उपरांत अधीनस्थ न्यायालय का मूल रेकार्ड जरिये पत्रांक 4289 दिनांक 31.10.22 के द्वारा लौटाया जा चुका है, जिसके अभाव में वांछित सूचनाएं दी जाना संभव नही है।
   (2) वांछित सूचना हेतु आप कार्यालय उपखण्ड अधिकारी/तहसीलदार पाली में आवेदन प्रस्तुत करें।

   अतः प्रस्तुत अपील निरस्त फरमाने का आग्रह किया गया।

7. पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज विनिश्चय प्रदत्त है। लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना के अधिकार के तहत प्रार्थीया–अपीलार्थी के आवेदन/प्रार्थना पत्र दिनांक 6.6.23 के संदर्भ में जरिये पत्र क्रमांकः 109 दिनांक 3.7.23 द्वारा निर्धारित समयावधि में प्रार्थीया को यथा सूचित कर दिया गया है।

8. प्रार्थीया द्वारा अपील के बिन्दु संख्या 6 में उल्लेखित कथनों के संदर्भ में लोक सूचना अधिकारी से प्राप्त टिप्पणीनुसार यह सूचित किया जाता है कि उक्त सूचनाएं इस कार्यालय द्वारा धारित नही है। प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग (सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ) राज0 जयपुर के परिपत्र दिनांक 12.10.2018 के पैरा संख्या 2–3 में विधि विभाग की राय अनुसार "**यदि किसी विशेष अधिनियम में दस्तावेजों की प्रतिलिपी लेने अथवा उनके निरीक्षण हेतु कोई विशेष शुल्क निर्धारित है, तो ऐसी स्थिति में उक्त दस्तावेजों की प्रतिलिपी लेने अथवा उनके निरीक्षण हेतु फीस लेने के संबंध में अधिनियम, 2005 के प्रावधान लागू न होकर, उक्त विशेष अधिनियम के प्रावधान लागू होगे।**" अतः प्रार्थीया द्वारा वांछित दस्तावेजों की प्रलिलिपी राजस्व कोर्ट मैन्युअल के तहत प्रतिलिपी प्राप्त करने के लिए आवेदन द्वारा संबंधित कार्यालय प्राप्त की जा सकती है।

न्यायालय डिविजनल कमिश्नर सत्यमेव जयते जोधपुर

डिविजनल कमिश्नर
जोधपुर

9. अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर उक्त अपील में कोई कार्यवाही अपेक्षित नही होने के कारण, प्रस्तुत अपील ख़ारीज की जाती है।
10. पत्रावली बाद निर्णय, नम्बर से कम की जावे तथा निर्णय की प्रति अपीलार्थी एवं लोक सूचना अधिकारी कार्यालय हाजा को प्रेषित की जावे।

(भंवर लाल मेहरा)
डिविजनल कमिश्नर
जोधपुर

न्यायालय डिविजनल कमिश्नर
सत्यमेव जयते
जोधपुर